न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 11 / 2019

सौराब खान उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सैमला कलां तहसील नगर जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 15.07.2019 वमुकदमा सरकार बनाम सौराव खान अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 06.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 15.07.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है। पत्रावली के अवलोकन प्रार्थी दिलीपसिंह पुत्र तारासिंह जाति सिख निवासी सैमला कलां तहसील नगर द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु दिनांक 12.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया है । सुनवाई हेतु प्रार्थी व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिन उपभोक्ताओं की शिकायत पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है उन्हीं उपभोक्ताओं में से कुछ उपभोक्ताओं ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी नगर के समक्ष भी शिकायत की थी, जिसकी जांच कर उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया । उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:50 IST
Reason: Self Attested

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रकरण सं0 11/2019
सौरावखान बनाम डीएसओ

डीलर ने पोस मशीन में अंगूठा लगवाकर उन्हें पिछले 5–6 महीने से राशन नहीं दिया है। यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सम्भव नहीं हो सकता कि 5–6 महीने तक उपभोक्ता पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर डीलर से राशन प्राप्त नहीं करते हों । अपीलान्ट के विरूद्ध की गई शिकायत झूंठी है । अपीलान्ट के विरूद्ध समस्त कार्यवाही राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 04.07.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया और पत्रावली में आगामी तिथि 25.07.2019 नियत की गई थी, जिसे बाद में बदल कर दिनांक 15.07.2019 कर दिया गया और बिना कोई जांच किये राजनैतिक दबाव से दिनांक 15.07.2019 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया । अपीलान्ट की दुकान पर स्टॉक की जांच में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, जांच में राशन सामग्री का पूरा स्टॉक पाया गया है । अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है,जो खारिज किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि डीलर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर उपभोक्ताओं के बयान लिए गए एवं राशनकार्डो की जांच गई, जिसमें उपभोक्ताओं के बयान एवं राशनकाडों से पुष्टि होने पर गबन किये गए कैरोसिन एवं गेंहू के आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुरूप राशनकार्ड में इन्द्राज न करना तथा उपभोक्ता द्वारा राशन सामग्री न मिलने का बयान करना आरोप को प्रमाणित करता है। यह तथ्य कि ऑन लाइन वितरण दर्शाने के बाद राशन कार्ड में इन्द्राज न किया हो परन्तु राशन सामग्री दे दी हो, स्वीकार योग्य एवं तार्किक नहीं है। डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता किया जाना प्रमाणित है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से तहत पत्रावली की ऑर्डरशीट पर दिनांक 04.07.2019 अपीलान्ट की जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया और आगामी तारीख पेशी नियत की गई जिसे बाद में कांट–छांट कर 15.07.2019 किया जाना प्रतीत होता है। दिनांक 04.07.2019 को अपीलान्ट द्वारा तीन उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया और बिना कोई जांच किये दिनांक 15.07.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। तारीख पेशी में कांट–छांट कर बिना अपीलान्ट को सूचित किये [illegible] जांच किये बिना ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करना [illegible] उपभोक्ताओं ने अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत की [illegible] उपभोक्ताओं के द्वारा पूर्व में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:50 IST
Reason: SelfAttested

.....3

जिला कलक्टर
[illegible] (राज०)

उपखण्ड अधिकारी नगर के यहां भी शिकायत की थी जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच में झूंठा पाये जाने पर कार्यवाही समाप्त कर दी थी। उपभोक्ताओं द्वारा अगूंठा लगाकर 5–6 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा सम्भव नहीं हो सकता कि 5–6 महीने तक बिना राशन लिये उपभोक्ता मशीन पर अगूंठा लगाता रहे । अपीलान्ट के गोदाम पर भी वक्त निरीक्षण कोई अतिरिक्त सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई है। अपीलान्ट के विरूद्व समस्त कार्यवाही आपसी रंजिश व द्वेषता के कारण होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना रिकार्ड का अवलोकन किये कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं रहता।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2019 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 06.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:50 IST
Reason: SelfAttested